(50)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

R 4231-PBe-16

कंचनबाई बेवा तोलाराम जाति बलाई उम्र 58 वर्ष

धंधा कोटवार निवासी ग्राम कनवासा तह. बदनावर जिला धार

.....निगरानीकर्ता

बनाम

1— जीवन पिता लक्ष्मण जाति मोगिया

2— लक्ष्मण पिता भैरा जाति मोगिया

3— मदनलाल पिता मांगीलाल जाति बलाई

4— अमृतलाल पिता गणपत जाति बलाई

5— मोहनलाल पिता नागुलाल जाति बलाई

निवासी ग्राम कनवासा तह. बदनावर जिला धार

6— म0प्र0 शासन

.....विपक्षीगण

द्वारा आज दि. 16/12/16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 16.12.16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

16/12/16

निगरानी अर्ज धारा 50 म0प्र0 भूरासं 1959 मुजब

मान्यवर महोदय,

778 16/12/16

सेवा में निगरानीकर्ता तर्फे अत्यन्त विनम्रता से निवेदन है कि यथाकथित जीवन पिता लक्ष्मण जो तहसील कार्यवाही में जो राजस्व प्रकरण क्रमांक 01/2014—15/अ—56 में पक्ष नही है। उसे राईट किसी प्रकार का विधि मे अपील अथवा अन्य कार्यवाही करने का हक नही है विधि में ऐसी व्यवस्था है कि अपील एज आफ राईट नही है विधि की परिधि में आने पर अपील हो सकेगी। निर्णय देने का ज्युरिसडिक्शन अपीलेण्ट कोर्ट को है अन्यथा नही है। वर्तमान में तहसीलदार महोदय बदनावर ने ग्राम कनवासा तहसील बदनावर के चौकीदार का पद रिक्त होने से मृत कोटवार के सगे भाई की पत्नि कंचनबाई को अस्थायी तौर पर नियुक्त किया है। मूल न्यायालय ने अन्य कंटेस्टेड अस्थायी नियुक्ति के बारे में जो लोग है। उन्हे अमान्य किया है व अस्थायी नियुक्ति कंचनबाई बेवा तोलाराम की प्राथमिकता व योग्यता व ग्राम पंचायत कनवासा द्वारा कंचनबाई की नियुक्ति के संबंध में सर्वानुमति से ठहराव प्रस्ताव व अन्य परिस्थिति पर विचार करके अस्थायी नियुक्ति की आज्ञा दिनांक 29.06.2015 को दी है। ऐसी दशा में आज्ञा में निर्णय में

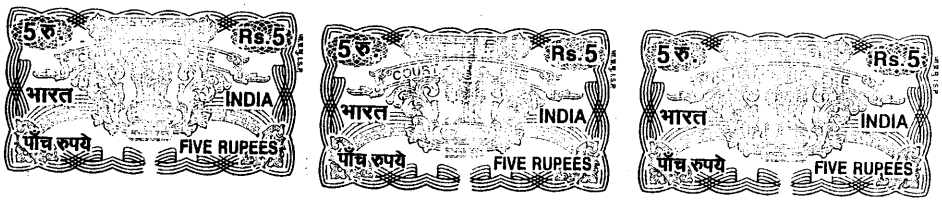

जीवन की मोजुदगी नही है यो भी जहां अस्थायी नियुक्ति का प्रश्न है व अंतरिम आज्ञा का प्रश्न है उसमें अंतिम विनिश्चय नही है ऐसी दशा ऐसी अंतरिम आज्ञा की अपील विधि से धार 44 भूरासं मुजब नही होती है। यह स्पष्ट विधि में प्रावधान है बिना मंजुरी के दिनांक 29.06.2015 की आज्ञा की अपील अंदर 30 दिवस में नही है मंजुर अपील प्रस्तुतीकरण की अर्जी व क्षमा बाबद अर्जी जीवन की नही है। अंतरिम नियुक्ति विवेक की होती है उसमें हस्तक्षेप विधिक नही है ऐसी दशा में जीवन की अपील ग्राह्य प्रोसिड का ज्युरिसडिक्शन अनुविभागीय अधिकारी को नही है उनकी अपील 6 माह की अवधि के बाद अर्थहिन हो गई है। अतः उसे अपास्त करना था अग्राह्य ठहराना था अधिकारो के परे जाकर अनुविभागीय अधिकारी महोदय बदनावर ने राजस्व प्रकरण क्रमांक 24/अपील/2014–15 दिनांक 30.09.2016 को दी गई आज्ञा अवैध विचाराधिकार रहित है जिसकी सूचना हमें दिनांक 22.11.2016 को दी आदेश पत्रिका में भी कंचनबाई को सूचना दी यह भी आदेश पत्रिका मे उल्लेख है आदेश पत्रिका की नकल पेश है यह सब कार्य अनुविभागीय अधिकारी महोदय का विधिक न होकर छलयुक्त है। ऐसा कार्य विधिक नही हो सकता कि वे आदेश की सूचना न देवे दिनांक 26.09.2016 को आदेश पत्रिका में भी हमे सुना नही है। स्पष्ट है कि उन्होने हमे सुना नही है। जबकि हमारी ओर से अभिभाषक थे हम थे पूर्व की प्रोसिडिंग में दिनांक 28.06.2016 नियत थी इस बीच मिसल नही निकाली व यकायक हमारी गैरमोजुदगी में महिला की गैर मोजुदगी में हितधारी की गैर मोजुदगी में दिनांक 26.09.2016 को प्रकरण निकाल लिया व प्रकरण में नस्ती कर आदेशार्थ लिख दिया व उसी दिन आदेश पारित व उसमें भी सूचना जारी नहीं की व निगरानीकर्ता मिसल ढुंढती रही बमुश्किल दिनांक 22.11.2016 को संबंधित प्रस्तुतकार ने कंचनबाई को बताया आदेश पत्रिका में उल्लेख है और स्पष्ट है कि दिनांक 22.11.2016 को सूचना दी गई इस प्रकार सारी कार्यवाही छल लिये हुए है बिना सूचना के है ऐसी दशा में प्रकरण में आयी अधिकार रहित कार्य व अनियमितता को व बिना सुने है विचाराधिकार रहित है ये सब तथ्यो को देखते हुए व यों भी राजस्व मंडल को प्रत्येक कार्य जो उनके अधिनस्थो द्वारा अधिकारो के परे जाकर किया है उसे एक्जामिन करने का व निगरानी मे लेकर उचित व योग्य आज्ञा देने का पूर्ण अधिकार है उसी अधिकारो की उपयोग बाबद यह अभ्यावेदन यह याचना यह निगरानी अर्ज राजस्व प्रकरण क्रमांक 24/अपील/2014–15 में दी गई आज्ञा दिनांक 30.09.2016 जिसकी सूचना दिनांक 22.11.2016 की है जिससे असंतुष्ट होकर यह निगरानी नकल के दिन मुजरा जाते दिनांक 06.12.2016 को मिली वैसे यह निगरानी निम्न आधारों पर सादर सदभावनापूर्वक कानून सम्मत प्रस्तुत हैं :–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 4231–पीबीआर/16 **जिला** धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9–2–2017	आवेदक की ओर से श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक एवं अनावेदक कमांक 1 की ओर से श्री अशोक भार्गव, अभिभाषक उपस्थित । आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रकरण वापिस लिये जाने का अनुरोध किया गया । अनुरोध स्वीकार किया जाकर प्रकरण वापिस किया जाता है । **(मनोज गोयल)** अध्यक्ष	